<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेस नोट सं0-10 **दिनांक- 13.04.2024**

थाना रामसनेही घाट पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया गया भण्डाफोड़, एक हिस्ट्रीशीटर/अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 10 निर्मित व 07 अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, कारतूस एवं भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद-

जनपद में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.04.2024 को थाना रामसनेही घाट पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त चन्द्रिका पुत्र गिरवर लोध निवासी ग्राम भैसी बेलहा मजरे सैदापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर को शिवगढ़ सिसौना के जंगल से गिरफ्तार कर कब्जे से 05 अदद तमंचा .12 बोर, 05 अदद तमंचा .315 बोर, 07 अदद तमंचा अर्द्धनिर्मित .315 बोर, 01 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण, 02 टार्च, 01 अदद पंखा (धकौनी) व 500/- रूपये नगद बरामद किये गये। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रामसनेही घाट पर मु0अ0सं0-190/2024 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रिका द्वारा फरार अभियुक्त गोविन्द के साथ जंगल में अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा 20 अदद तमंचों को निर्मित करने का ठेका अभियुक्त गोविन्द से लिया गया था, जिसके निर्माण में प्रयुक्त होने की समस्त सामग्री गोविन्द द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी। प्रत्येक तमंचे के निर्माण हेतु अभियुक्त चन्द्रिका द्वारा 03 हजार रुपये लिये जा रहे थे। अभियुक्त चन्द्रिका शातिर अपराधी है, यह पूर्व में भी जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों से जेल जा चुका है। अभियुक्त चन्द्रिका थाना सकरन जनपद सीतापुर का हिस्ट्रीशीटर है, जिसका हिस्ट्रीशीट क्रमांक 1898(ए) है। वांछित अभियुक्त गोविन्द की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

<u>नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

चन्द्रिका पुत्र गिरवर लोध निवासी ग्राम भैसी बेलहा मजरे सैदापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर ।

<u>नाम-पता वांछित अभियुक्त-</u>

गोविन्द पुत्र व निवासी अज्ञात।

<u>बरामदगी-</u>

1. 05 अदद अवैध तमंचा .12 बोर
2. 05 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
3. 07 अदद अवैध अर्द्धनिर्मित तमंचा .315 बोर
4. 01 अदद कारतूस जिन्दा
5. 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
6. 02 अदद टार्च

7. 01 अदद पंखा (धौकनी)

<u>शस्त्र बनाने के उपकरण-</u>

1. 01 आरी लोहे काटने वाली
2. 02 अदद आरी लोहा काटने वाली फ्रेम के साथ
3. 04 अदद बलेड।
4. 03 अदद रेती
5. 01 अदद फुकनी
6. 03 अदद सडसी
7. 04 अदद विभिन्न प्रकार की सूमी(लोहा छेदने वाली)
8. 01 अदद सूमी वेट दार
9. 01 अदद गोल रेती
10. 03 अदद प्लास्टिक के वेटदार रेती
11. 03 अदद छेनी
12. 01 अदद हथौडी
13. 03 अदद साइकिल की तिली
14. 05 अदद लोहे की राड पतली
15. 02 अदद पीली धातु तार के टुकडे
16. 03 अदद लोहे के ट्रेगर
17. 02 अदद लोहे के हैमर
18. 01 अदद लोहे का ठीहा(लोहा पीटने वाला)
19. 01 अदद बड़ा बोल्ट
20. 01 अदद लोहे की छेददार टुकड़ी
21. 01 अदद पाईप का टुकडा ल0 09 इंच 0.12 बोर की नाप नूमा
22. 02 अदद पैमाना .315 बोर नाल नापने की
23. 01 अदद पैमाना .12 बोर नाल नापने की
24. 01 अदद लोहे की मोटी कील
25. 01 अदद रेगमार्क का टुकडा
26. 02 टुकडे लोहे के छोटे
27. कुछ लोहे की स्प्रिंग ,पेंच व बोल्ट

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त चन्द्रिका पुत्र गिरवर लोध निवासी ग्राम भैसी बेलहा मजरे सैदापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर ।

1. मु0अ0सं0 16/2000 धारा 379/411 भादवि, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 17/2000 धारा 392/411 भादवि, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 18/2000 धारा 25(1)(बी) आयुध अधि0, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।

4. मु0अ0सं0 82/2000 धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा अधि0, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
5. मु0अ0सं0 454/2003 धारा 382/411 भादवि, थाना बिसवां, जनपद सीतापुर।
6. मु0अ0सं0 390/2015 धारा 25(1)(बी) आयुध अधि0, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
7. मु0अ0सं0 158/2019 धारा 457/380 भादवि, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
8. मु0अ0सं0 209/2019 धारा 457/380/411 भादवि, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
9. मु0अ0सं0 02/2022 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगोस्टर एक्ट, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
10. मु0अ0सं0 08/2022 धारा 25(1)(बी) आयुध अधि0, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
11. मु0अ0सं0 220/2023 धारा 457/380/411 भादवि, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
12. मु0अ0सं0 249/2023 धारा 457/380/411 भादवि, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।
13. मु0अ0सं0 274/2023 धारा 457/380/411 भादवि, थाना सकरन, जनपद सीतापुर।

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओम प्रकाश तिवारी थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।
2. अति0नि0 श्री बृजकिशोर सिंह, उ0नि0 शशिकान्त सिंह थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।
3. हे0 का0 गिरीश कुमार सिंह थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।
4. का0 मनीष सिंह, का0 बबित चौधरी, का0 सत्यम सिंह थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।